

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर खण्डवा एवं बुरहानुपर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरेगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन मण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वन मण्डल बुरहानुपर की 76.9028 हेक्टेयर कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक:

स्थान: भोपाल



(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)